

प्रपत्र I(स्व)
वर्ष 2017 के लिए अचल संपत्ति का विवरण
(दिनांक 01.01. को)

1. अधिकारी का पूरा नाम और जिस सेवा में अधिकारी कार्यरत है :
2. वर्तमान पद :
3. वर्तमान वेतन :

जिला, तालुक, गाँव का नाम जहाँ पर संपत्ति स्थित है	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य इमारतों का नाम व विवरण	वर्तमान मूल्य *	यदि अपने नाम पर नहीं है तो यह बताएँ कि किसके नाम पर है और सरकारी कर्मचारी का उनके साथ क्या रिश्ता है? \$	कैसे प्राप्त किया गया- यदि खरीदी गई**, गिरवी से या विरासत से, उपहार स्वरूप या किसी अन्य तरह से - उन व्यक्तियों के नाम व विवरण जिनसे प्राप्त की गई ?	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियाँ

टिप्पणी- अपने नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर स्वामित्व वाले, प्राप्त की गई या इनके द्वारा पट्टा या गिरवी पर विरासत में प्राप्त की गई सभी अचल संपत्ति का विवरण देते हुए यह घोषणा प्रपत्र वर्ग 'क' और 'ख' के प्रत्येक सदस्य को सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात प्रति 12 महीने के अंतराल पर सी.सी.एस.,(आचरण) नियमावली 1964 के तहत भर्के प्रस्तुत करना है। \$ यदि लागू नहीं हो, तो धारा को काट दिया जाए।

- * यथार्थ रूप से मूल्यांकन संभव नहीं होने की स्थिति में वर्तमान स्थिति से संबंधित सन्निकट मूल्य सम्मिलित किया जाए।
- ** अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

(कृ.पृ.उ.)

प्रपत्र II(आश्रित)

वर्ष 2017 के लिए आश्रितों के स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि को सम्मिलित करते हुए निधियों में से प्राप्त अचल संपत्ति का विवरण
(दिनांक 01.01. को)

1. अधिकारी का (पूर) नाम और जिस सेवा में अधिकारी कार्यरत है :
2. वर्तमान पद :
3. वर्तमान वेतन :

जिला, तालुक, गाँव का नाम जहाँ पर संपत्ति स्थित है	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य इमारतों का नाम व विवरण	वर्तमान मूल्य *	यदि अपने नाम पर नहीं है तो यह बताएँ कि किसके नाम पर है और सरकारी कर्मचारी का उनके साथ क्या रिश्ता है? (\$)	कैसे प्राप्त किया गया- यदि खरीदी गई**, गिरवी से या विरासत से, उपहार स्वरूप या किसी अन्य तरह से - उन व्यक्तियों के नाम व विवरण जिनसे प्राप्त की गई ?	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियाँ

टिप्पणी- अपने नाम पर या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर स्वामित्व वाले, प्राप्त की गई या इनके द्वारा पट्टा या गिरवी पर विरासत में प्राप्त की गई सभी अचल संपत्ति का देते हुए यह घोषणा प्रपत्र वर्ग 'क' और 'ख' के प्रत्येक सदस्य को सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात प्रति 12 महीने के अंतराल पर सी.सी.एस.,(आचरण) नियम 1964 के तहत भरके प्रस्तुत करना है। \$ यदि लागू नहीं तो धारा को काट दिया जाए।

- * यथार्थ रूप से मूल्यांकन संभव नहीं होने की स्थिति में वर्तमान स्थिति से संबंधित सन्निकट मूल्य सम्मिलित किया जाए।
- ** अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर